मंथन क्रमांक–79

जनता के लिये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा सामाजिक सुरक्षा

किसी भी देश मे जो सरकार बनती है उसके प्रमुख दो उददेश्य होते है– 1 सामाजिक सुरक्षा 2 राष्ट्रीय सीमाओ की सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के अतर्गत सरकार प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारो की सुरक्षा की गारंटी देती है तो राष्टीय सुरक्षा के अतर्गत सरकार विदेशी आक्रमणो से अपनी सीमाओ की सुरक्षा की व्यवस्था करती है। सामाजिक सुरक्षा के लिये सरकार पुलिस विभाग बनाती है तो राष्टीय सुरक्षा के लिये सेना भर्ती करती है। दोनो ही महत्वपूर्ण हैं किन्तु समाज के लिये दोनो मे से क्या अधिक महत्वपूर्ण है यह विचारणीय है।

कोई भी सरकार सेना को अधिक महत्वपूर्ण मानती है क्योकि उसके लिये सीमाओ की सुरक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। समाज पुलिस विभाग को अधिक महत्व देता है क्योकि उसकी सुरक्षा मे सेना की भूमिका नगण्य और पुलिस विभाग की बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर अपराधी लगातार यह प्रयत्न करता है कि पुलिस का मनोबल गिरा रहे क्योकि पुलिस ही उसके अपराधीकरण मे बडी बाधा होती है। यहां तक कि अपराधी न्यायालय से उतना नही डरते जितना पुलिस से डरते है। अपराधियो को सेना से कोई विशेष खतरा नही होता। दूसरी ओर दूसरे देश के लोग हमेशा यह प्रयत्न करते है कि पडोसी देश की सेना का मनोबल लगातार गिरा हुआ रहे क्योकि सशक्त सेना ही उसके लिये बडी बाधा होती है। यदि हम भारत का आकलन करे तो सम्पूर्ण भारत मे भी लगभग वही हाल है। भारत का भी हर अपराधी लगातार पुलिस विभाग का मनोबल तोडने का प्रयत्न करता है। किसी भी पुलिस वाले से कोई गलत कार्य हो जाये तो पूरे पुलिस विभाग पर आरोग लगाया जाता है। न्यायपालिका के लोग भी अपने न्यायालय मे पुलिस विभाग के लोगो के साथ बहुत ही नीचे स्तर का व्यवहार करते है। आम आदमी पुलिस विभाग को भ्रष्ट कहने मे गर्व का अनुभव करता है किन्तु जितने भी छापे पडे है उनमे पुलिस वालो की तुलना मे दूसरे विभागो का खजाना कई गुना अधिक पकडा जाता है। हर नेता पुलिस वालो पर गैर कानूनी कार्य करने के लिये दबाव बनाता है और जब पुलिस वाला बदनाम होता है तब वह किनारे हो जाता है। थाने नीलाम होते है और नीलाम करने वाला कभी भ्रष्ट नही कहा जाता है। भ्रष्ट मान जाता है, पुलिस वाला जो नीलामी मे थाने की बोली लगाता है।

दूसरी ओर सेना के सैनिको का सम्मान बना रहे इस बात का प्रयत्न पूरी सरकार करती है, पूरी न्यायपालिका करती है, हर नेता करता है और हर नागरिक से भी चाहता है कि सेना के सैनिक को सर्वोच्च सम्मान दिया जाय। किसी नेता ने पुलिस वालो के पक्ष मे कुछ बोल दिया तो सब उस नेता पर टूट पडते है जबकि किसी नेता ने सिर्फ यह कह दिया कि सैनिक तो जान देने के लिये ही बार्डर पर रहता है तो ऐसे नेता को माफी तक मागनी पडी। अगर कोई सैनिक शहीद होता है तो उसे लगभग एक करोड रूपये की सहायता दी जाती है उसके बाद भी उसके परिवार वाले पचीस तरह का नाटक करते रहते है, जबकि पुलिस वालो के लिये यह राशि बहुत छोटी होती है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि पुलिस समाज की सुरक्षा करती है और सेना देश की । फिर भी पुलिस और सेना के बीच इतना अंतर क्यो। पुलिस वालो के पद हमेशा खाली रहते है जबकि सेना का बजट हमेशा बढाने की मांग होती है । भारत मे आंतरिक असुरक्षा लगातार बढती जा रही है जबकि वार्डर के असुरक्षित होने का अभी तक कोई बडा खतरा नही दिखता । इसके बाद भी लगातार समाज मे इस प्रकार की भावना फैलायी जा रही है, जिससे पुलिस का मनोबल गिरा रहे । राष्टीय सुरक्षा के लिये भारत सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है। यदि सीमाओ पर कोई असुरक्षा होगी तब भारत सरकार जनता का आहवान करेगी और जनता को ऐसे संकट मे सेना के साथ जुट जाना चाहिये किन्तु अपराधियो और गुण्डा तत्वो से पुलिस निपटने मे किसी न किसी कारण से कमजोर पडती है तब सरकार या पुलिस के समर्थन मे आहवान के बाद भी कोई नही आता। कोई अपराधी अनेक अपराध करने के बाद भी भ्रष्टाचार या तकनीकी कारणो से निर्दोष सिद्ध हो जाता है तब भी न्यायपालिका से किसी तरह का कोई प्रश्न नही होता। प्रश्न होता है पुलिस से कि उसने ठीक से जांच नही की। ऐसा लगता है जैसे न्यायपालिका का नेतृत्व भगवान के पास हो और पुलिस मे सारे भ्रष्ट लोग भरे हुए है। यदि बार बार न्यायपालिका से मुक्त हुए वास्तविक अपराधी को पुलिस फर्जी मुठभेड मे मार देती है तो सारे निकम्मे नेता मानवाधिकारवादी न्यायालय सभी अपने अपने विलो से निकलकर अपराधी के पक्ष मे चिल्लाना शुरू कर देते है। कोई नही कहता कि पुलिस वाले ने अच्छी नीयत से गैर कानूनी कार्य किया है अर्थात कानून पुलिस वाले को दंडित करेगा किन्तु समाज को इस संबंध मे निर्पेक्ष रहना चाहिये। कश्मीर मे दो सैनिक पाकिस्तान की सेना द्वारा मार दिये जाते है और किसी शहर मे अपराधियो द्वारा चार व्यक्तियो की हत्या कर दी जाती है । कश्मीर मे मारे गये सैनिक और अपराधियो द्वारा मारे गये नागरिक के बीच आसमान जमीन का फर्क होता है। सैनिक नागरिको द्वारा दिये गये वेतन से वहां नियुक्त है और नागरिक वेतन देने वाला मालिक है। कोई भी देश प्रेमी मालिक की चिंता बिल्कुल नही करते । मेरे विचार मे राष्टीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के बीच यह अंतर खतरनाक है। पुलिस विभाग का गिरता मनोबल इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपराधिक मनोबल बढ रहा है। रामानुजगंज के लोगो ने लीक से हटकर ज्ञान यज्ञ के माध्यम से एक नया प्रयोग किया, जिसमे पुलिस विभाग का मनोबल उंचा करने का प्रयत्न हुआ। उसका परिणाम हुआ कि रामानुजगंज शहर मे देश के अन्य भागो की तुलना मे एक प्रकार के अपराधो का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा ।

मै चाहता हूँ कि हम राष्टीय सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का भी महत्व समझे। राष्ट्र प्रेम का यह अर्थ नही है कि हम समाज को लगातार कमजोर होने दे । राष्ट और समाज के बीच एक संतुलन होना ही चाहिये जो वर्तमान समय मे बिगड रहा है। राष्ट को ही सरकार और सरकार को ही समाज मान लेने की भूल हो रही है। इस दिशा मे देश के चिंतनशील लोगो को विचार करना चाहिये।

मंथन क्रमांक 80

ज्ञान यज्ञ क्यो, क्या और कैसे?

हम पूरे विश्व की समीक्षा करें तो भौतिक विकास तेज गति से हो रहा है और लगभग उतनी ही तेज गति से नैतिक पतन भी हो रहा है। भौतिक समस्याओ का समाधान हो रहा है और चारित्रिक पतन की समस्याएं विस्तार पा रही हैं। भावना और बुद्धि के बीच भी अंतर बढता जा रहा है। शरीफ लोगो की संख्या भी बढती जा रही है तो चालाक और धूर्त लोगो की संख्या भी बढ रही है। शरीफ और धूर्त के बीच ध्रुवीकरण हो रहा है और समझदारी निरंतर घट रही है । हर धूर्त यह प्रयत्न कर रहा है कि अन्य लोग समझदार न होकर शरीफ बनें अर्थात भावना प्रधान हों । विचार प्रचार बहुत तेज गति से हो रहा है और विचार मंथन की प्रकृया लगातार घट रही है। विपरीत विचारो के लोग अलग अलग गिरोहों मे बंटकर संगठित हो रहे हैं तो विपरीत विचारो के लोग एक साथ बैठकर कभी समस्याओ की न तो चर्चा करते हैं न समाधान सोचते हैं। यहां तक कि पूरे विश्व मे विपरीत विचारो के लोग एक दूसरे के विरूद्ध बिना विचारे इतने सक्रिय हो जाते है कि उसका लाभ धूर्त उठाते है। हर कार्य मे आम नागरिकों की सक्रियता बढती जा रही है भले ही वह एक दूसरे के विरूद्ध ही क्यों न हो।

यदि हम भारत की समीक्षा करें तो भारत दुनियां की तुलना मे कुछ अधिक ही समस्या ग्रस्त है। राज्य और समाज के बीच शक्ति संतुलन मालिक और गुलाम सरीखा हो गया है। सब प्रकार के धूर्त राज्य के साथ निरंतर जुडने का प्रयास कर रहे है तो सभी शरीफ समाज के साथ इकठ्ठे हो रहे है। राज्य सुरक्षा और न्याय न देकर भौतिक उन्नति को अधिक महत्व दे रहा है। सुरक्षा और न्याय की परिभाषाए बदली जा रही है। मानवाधिकार के नाम पर अपराधियो को विशेष सुरक्षा दी जा रही है तो न्याय के नाम पर कमजोरो और मजबूतो के बीच टकराव बढाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप समाज के शरीफ लोगो द्वारा सुरक्षा और न्याय के लिये अपराधियो की मदद लेना मजबूरी बन गया है। राज्य पूरी शक्ति से वर्ग समन्वय को समाप्त करके वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहित कर रहा है। धर्म जाति भाषा क्षेत्रियता उम्र लिंग गरीब अमीर किसान मजदूर शहरी ग्रामीण आदि के नाम पर समाज मे अलग अलग संगठन बनाकर उनमे वर्ग विद्वेष का कार्य योजना बद्ध तरीके से राज्य कर रहा है । शिक्षा और ज्ञान के बीच भी लगातार असंतुलन पैदा किया जा रहा है। शिक्षा को योग्यता का विस्तार न मानकर रोजगार के अवसर के रूप मे बदलने का लगातार प्रयास हो रहा है। परिणाम हो रहा है कि शिक्षा और श्रम के बीच असंतुलन बढता जा रहा है। पूरे भारत मे हिंसा के प्रति विश्वास बढता जा रहा है। अनेक असत्य धारणाए सत्य के समान स्थापित हो रही है। अच्छे अच्छे विद्वान नहीं बता पाते कि व्यक्ति और नागरिक मे क्या अंतर है, समाज राष्ट्र और धर्म मे कौन अधिक महत्वपूर्ण है, शिक्षा और ज्ञान मे क्या अंतर है, अपराध गैर कानूनी और अनैतिक मे क्या अंतर है, कार्यपालिका और विधायिका मे क्या अंतर है आदि आदि। स्पष्ट है कि समस्याए दिख रही है और समाधान नहीं दिख रहा । समस्याओ का अंबार लगा है। समाधान कहां से शुरू करें यह समझ मे नही आ रहा ।

इन सब परिस्थितियों का आकलन करके ही बासठ वर्ष पूर्व हम कुछ मित्रो ने रामानुजगंज शहर मे ज्ञान यज्ञ की शुरूआत की । रामानुजगंज मे बासठ वर्षो से प्रतिमाह की एक निश्चित तारीख को आधे घंटे की धार्मिक प्रक्रिया से प्रारंभ करके दो घंटे की एक पूर्व निश्चित विषय पर चर्चा होती है जो अबतक सफलता पूर्वक जारी है। अबतक करीब तीन सौ अलग अलग विषयो पर स्वतंत्र चर्चा हो चुकी है । अन्य नये विषय भी शामिल होते है। सोचा गया था कि एक शहर यदि समस्याओ के समाधान मे आगे बढकर आदर्श प्रस्तुत करेगा तो अपने आप देश पर उसका प्रभाव पडेगा । रामानुजगंज शहर मे इस प्रयत्न को अच्छी सफलता भी मिली किन्तु धीरे धीरे वे सफलताए रामानुजगंज से बाहर विस्तार नही कर सकीं क्योकि बाहर के लोगो को शराफत से आगे निकालकर समझदारी की ओर ले जाने का हमने कोई प्रयास नही किया। बल्कि उसका दुष्परिणाम हुआ कि रामानुजगंज पर भी बाहर की हवाओ का प्रभाव धीरे धीरे पडने लगा। बाहर के सभी शरीफ और धूर्त इकठ्ठे होकर रामानुजगंज की व्यवस्था के विरूद्ध सक्रिय हो गये। वहां भी साम्प्रदायिकता अथवा जातिवाद के नाम पर संगठन बनने लगे । वहां भी राजनैतिक टकराव आंशिक रूप से पैर फैलने लगा । कर्मचारियो और नागरिको के बीच की एकता कमजोर होने लगी। अब तो ऐसा भी दिख रहा है कि वहां धीरे धीरे अपराधियो का भी प्रवेश शुरू हो जायेगा । चोरी डकैती गुंडा गर्दी दादागिरी से अभी तक तो सुरक्षित है किन्तु जब सामाजिक एकता ही छिन्न भिन्न हो जायेगी तो कब तक बचा सकेंगे।

स्पष्ट है कि हम प्रयोग मे सफल होकर भी असफल हुए, क्योकि ऐसे वैचारिक प्रयोग किसी एक क्षेत्र से सफल नही हो पाते । इसलिये यह सोचा गया कि अब ज्ञान यज्ञ का विस्तार राष्टीय स्तर पर हो । साथ ही हम समस्याओ का समाधान करने का प्रयत्न न करे। हम वर्ग विद्वेष मे सक्रिय समूहो का विरोध न करके सामाजिक एकता की एक और अधिक बडी लकीर खीचने का प्रयास क्यो न करें। इसका अर्थ हुआ कि हम जाति धर्म भाषा आदि के नाम पर बने संगठित समूहो का विरोध न करके एक संयुक्त समूह की ओर बढने का प्रयत्न करे जैसा रामानुजगंज मे प्रारंभ मे किया गया था। अर्थात ज्ञान यज्ञ के नाम से एक प्रकार के लोग एक साथ बैठने की आदत डाले । भले ही वे किसी भी संगठन के सदस्य क्यो न हो।

ज्ञान यज्ञ की विधि बहुत सरल है। पूरा कार्यक्रम यदि तीन घंटे का है तो आधा घंटा यज्ञ यथवा किसी अन्य भावनात्मक धार्मिक कार्यक्रम से श्रद्धा पूर्वक शुरूआत करनी चाहिये। यह समय पूरे कार्यक्रम का एक/छः से अधिक न हो । दो घंटा किसी एक पूर्व निश्चित विषय पर स्वतंत्र विचार मंथन होना चाहिये जिसमे विपरीत विचारो के लोग अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक कहने की हिम्मत कर सके और दूसरे लोग विपरीत विचारो को सुनने की अपनी सहन शक्ति जागृत कर सकें। अंतिम आधा घंटा मे स्वराज्य प्रार्थना तथा प्रसाद वितरण आदि का कार्य होता है। आयोजक अपनी श्रद्धा अनुसार धार्मिक किया के लिये स्वतंत्र है। चर्चा का विषय भी चुनने के लिये आयोजक स्वतंत्र है। किन्तु वक्ता की स्वतंत्रता को किसी भी परिस्थिति मे बाधित नही किया जा सकता भले ही वह किसी की

भावनाओ के विरूद्ध ही क्यो न हो। ज्ञान यज्ञ के बैनर तले कोई सामूहिक निष्कर्ष निकालना प्रतिबंधित है । सब लोग व्यक्तिगत निष्कर्ष निकालने को स्वतंत्र हैं । ज्ञान यज्ञ के बैनर तले न कोई भी अन्य सक्रियता हो सकती है न ही योजना बन सकती है। अर्थात ज्ञान यज्ञ परिवार का सदस्य व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य बैनर तले बाढ सहायता राष्ट्रीय संकट मे मदद या भूखो को भोजन आदि सेवा कार्य करने को स्वतंत्र है, किन्तु ज्ञान यज्ञ के नाम से पूरी तरह प्रतिबंधित है। ज्ञान यज्ञ की केवल एक ही सक्रियता है कि भिन्न विचारो के लोग एक साथ बैठकर स्वतंत्रता पूर्वक विचार मंथन कर सके तथा भावना और बुद्धि के बीच विवेक एंव शराफत और चालाकी के बीच समझदारी का विस्तार हो सके। मै समझता हूॅ कि ज्ञान यज्ञ परिवार वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष को रोकने का प्रयास छोडकर वर्ग मुक्त वर्ग खडा करने का जो भी प्रयास करेगा वह अपने आप स्वाभाविक रूप से समाधान होगा । समस्याओ का समाधान करने मे तो भारत मे गली गली मे लोग मिल जायेगे किन्तु ज्ञान यज्ञ का प्रयास यह है कि समस्याओ की प्राकृतिक रूप से आधोषित तरीके से कम होने की प्रणाली विकसित की जाये । ज्ञान यज्ञ एक ऐसी ही सफल प्रणाली है जिसमे ज्ञान यज्ञ परिवार पूरे राष्टीय स्तर पर सक्रिय हो रहा है।

ज्ञान यज्ञ परिवार मे जुडने के लिये एक ही शर्त है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम वर्ष मे एक बार ज्ञान यज्ञ मे शामिल होने की प्रतिबद्धता स्वीकार करनी चाहिये। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को हम ज्ञान यज्ञ परिवार का सदस्य मान रहे है। इस सदस्यता मे कोई जाति धर्म का भेद नही है। अपराध निरपराध का भी भेद नही है। राष्टीयता का भी भेद नही है। प्रत्येक मनुष्य ज्ञान यज्ञ परिवार का सदस्य बन सकता है। इस सदस्यता का न कोई शुल्क है न कोई अन्य प्रतिबद्धता।

मै समझता हूॅ कि विनोबा जी ने ऐसे कार्य को नाहक मिलन शब्द से स्थापित किया था । मुझे तो पूरा विश्वास है कि ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम समाज सशक्तिकरण की दिशा मे तेजी से कदम बढा सकेंगे और समाज सशक्तिकरण अनेक समस्याओ का समाधान करने मे सफल होगा । हमारे कुछ मित्र ग्राम संसद अभियान के माध्यम से राज्य कमजोरी करण का जो अभियान चला रहे है उनकी सफलता के लिये भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते है। अपनी बासठ वर्ष की सक्रियता तथा अनुभव के आधार पर मै आश्वस्त हूॅ कि भारत की सभी समस्याओ के समाधान की शुरूआत ज्ञान यज्ञ विस्तार के माध्यम से हो सकती है। जब भिन्न विचारो के लोग अपने अपने संगठनो मे रहते हुए भी एक साथ बैठकर चर्चा करने की आदत डालेगे तो परिणाम अवश्य ही अच्छे होंगे । इसी आधार पर हम ज्ञान यज्ञ परिवार का राष्टीय स्तर पर सफलता पूर्वक विस्तार कर रहे है। कुछ लोग मानते है कि इसका कोई बडा लाभ नही होगा । हो सकता है ऐसा हो किन्तु मै आस्वस्त हूॅ कि इस प्रयत्न का कोई नुकसान नही होगा। जो लोग अन्य प्रयत्नो मे लगे है उनके किसी प्रयत्न मे ज्ञान यज्ञ परिवार जरा भी बाधक नही है। वे अपने प्रयत्नो मे सफल हो इससे हमे कोई कठिनाई नही। ज्ञान यज्ञ परिवार नये तरीके से समाज सशक्तिकरण का कार्य कर रहा है।

मंथन क्रमांक 81

ग्राम संसद अभियान क्या क्यो और कैसे?

हम पूरे विश्व की समीक्षा करें तो भौतिक विकास तेज गति से हो रहा है और लगभग उतनी ही तेज गति से नैतिक पतन भी हो रहा है। भौतिक समस्याओ का समाधान हो रहा है और चारित्रिक पतन की समस्याएं विस्तार पा रही हैं। भावना और बुद्धि के बीच भी अंतर बढता जा रहा है। शरीफ लोगो की संख्या भी बढती जा रही है तो चालाक और धूर्त लोगो की संख्या भी बढ रही है। शरीफ और धूर्त के बीच ध्रुवीकरण हो रहा है और समझदारी निरंतर घट रही है । हर धूर्त यह प्रयत्न कर रहा है कि अन्य लोग समझदार न होकर शरीफ बनें अर्थात भावना प्रधान हों । विचार प्रचार बहुत तेज गति से हो रहा है और विचार मंथन की प्रकृया लगातार घट रही है। विपरीत विचारो के लोग अलग अलग गिरोहों मे बंटकर संगठित हो रहे हैं तो विपरीत विचारो के लोग एक साथ बैठकर कभी समस्याओ की न तो चर्चा करते हैं न समाधान सोचते हैं। यहां तक कि पूरे विश्व मे विपरीत विचारो के लोग एक दूसरे के विरूद्ध बिना विचारे इतने सक्रिय हो जाते है कि उसका लाभ धूर्त उठाते है। हर कार्य मे आम नागरिकों की सक्रियता बढती जा रही है भले ही वह एक दूसरे के विरूद्ध ही क्यों न हो।

यदि हम भारत की समीक्षा करें तो भारत दुनियां की तुलना मे कुछ अधिक ही समस्या ग्रस्त है। राज्य और समाज के बीच शक्ति संतुलन मालिक और गुलाम सरीखा हो गया है। सब प्रकार के धूर्त राज्य के साथ निरंतर जुडने का प्रयास कर रहे है तो सभी शरीफ समाज के साथ इकठ्ठे हो रहे है। राज्य सुरक्षा और न्याय न देकर भौतिक उन्नति को अधिक महत्व दे रहा है। सुरक्षा और न्याय की परिभाषाए बदली जा रही है। मानवाधिकार के नाम पर अपराधियो को विशेष सुरक्षा दी जा रही है तो न्याय के नाम पर कमजोरो और मजबूतो के बीच टकराव बढाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप समाज के शरीफ लोगो द्वारा सुरक्षा और न्याय के लिये अपराधियो की मदद लेना मजबूरी बन गया है। राज्य पूरी शक्ति से वर्ग समन्वय को समाप्त करके वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहित कर रहा है। धर्म जाति भाषा क्षेत्रियता उम्र लिंग गरीब अमीर किसान मजदूर शहरी ग्रामीण आदि के नाम पर समाज मे अलग अलग संगठन बनाकर उनमे वर्ग विद्वेष का कार्य योजना बद्ध तरीके से राज्य कर रहा है । शिक्षा और ज्ञान के बीच भी लगातार असंतुलन पैदा किया जा रहा है। शिक्षा को योग्यता का विस्तार न मानकर रोजगार के अवसर के रूप मे बदलने का लगातार प्रयास हो रहा है। परिणाम हो रहा है कि शिक्षा और श्रम के बीच असंतुलन बढता जा रहा है। पूरे भारत मे हिंसा के प्रति विश्वास बढता जा रहा है। अनेक असत्य धारणाए सत्य के समान स्थापित हो रही है। अच्छे अच्छे विद्वान नहीं बता पाते कि व्यक्ति और नागरिक मे क्या अंतर है, समाज राष्ट्र और धर्म मे कौन अधिक महत्वपूर्ण है, शिक्षा और ज्ञान मे क्या अंतर है, अपराध गैर कानूनी और अनैतिक मे क्या अंतर है, कार्यपालिका और विधायिका मे क्या अंतर है आदि आदि। स्पष्ट है कि समस्याए दिख रही है और समाधान नहीं दिख रहा । समस्याओ का अंबार लगा है। समाधान कहां से शुरू करें यह समझ मे नही आ रहा ।

तंत्र की नीतियां गलत नही है बल्कि नीयत गलत है। तंत्र समाज को गुलाम बनाकर रखने की नीयत से सारे अधिकार अपने पास समेट रहा है। तंत्र ने संविधान रूपी एक पुस्तक लिखकर उसे समाज मे धर्म ग्रन्थ या भगवान के रूप मे स्थापित कर दिया है और तंत्र जब चाहे उसमे मनमाने संशोधन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। हमारे लिये भगवान और तंत्र के लिये गुलाम । लोकतंत्र की परिभाषा लोक नियंत्रित तंत्र से बदलकर लोक नियुक्त तंत्र कर दी गई है। तंत्र को लोक का प्रबंधक या मैनेजर होना चाहिये था किन्तु वह अपने को शासक अर्थात सरकार मानता भी है और कहता भी है। कैसी विडंबना है कि लोक शासित है और तंत्र शासक। इसलिय यह निष्कर्ष निकलता है कि सम्पूर्ण विश्व की राजनैतिक व्यवस्था मे आमूल परिवर्तन होना चाहिये जिसकी शुरूआत भारत से हो।

हमे भारत मे दो दिशाओ मे एक साथ काम करना चाहिये । 1 समाज सशक्तिकरण 2 राज्य कमजोरीकरण। राज्य और समाज के बीच जो असीमित दूरी राज्य के पक्ष मे बढ गई हैं उस दूरी को समाज के पक्ष मे करना ही व्यवस्था परिवर्तन है। समाज सशक्तिकरण का कार्य ज्ञान यज्ञ परिवार राष्ट्रीय स्तर पर सफलता पूर्वक कर रहा है। राज्य कमजोरीकरण का कार्य ग्राम संसद अभियान ने अपने उपर लिया है।

स्वराज्य का अर्थ है सम्पूर्ण विश्व के संविधान के निर्माण और संशोधन मे प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका तथा अपने कानून बनाने और क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता। इसे ही हम लोक स्वराज्य कहते हैं। भारत मे भी लोक स्वराज्य का अर्थ वही है अर्थात भारतीय संविधान के निर्माण तथा संशोधन मे भारत के प्रत्येक व्यक्ति की सम्पूर्ण भूमिका । सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ हैं भारत की अव्यवस्थित राजनैतिक, सामाजिक, संवैधानिक, धार्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, तथा अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाओ मे अब तक आये पतन से मुक्ति। लोक स्वराज्य ही सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का आधार बन सकता है। चूकि यह कार्य बहुत अधिक कठिन है इसलिये संशोधित रूप मे व्यवस्था परिवर्तन को आधार बनाया जा सकता है। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ है संविधान के निर्माण और संशोधन मे भारत के प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका। कई वर्षो तक प्रयत्न के बाद महसूस हुआ कि व्यवस्था परिवर्तन की तुलना मे कुछ और लचीला मार्ग अपनाया जाये। यह सोचकर ग्राम संसद अभियान को आधार बनाकर जन जागरण शुरू किया गया। ग्राम संसद अभियान का अर्थ है, प्रत्येक ग्राम या वार्ड सभा को राष्ट्रीय संविधान संशोधन मे महत्वपूर्ण भूमिका तथा अपने आंतरिक कानून बनाने और क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता । इसका अर्थ हुआ कि वर्तमान तंत्र यदि संविधान मे कोई संशोधन करता है तो उसे ग्राम सभाओ की स्वीकृति अनिवार्य होगी । यदि ग्राम सभाएं अस्वीकृत कर दें तब या तो संविधान संशोधन नही होगा अथवा जनमत संग्रह कराना होगा।

मै मानता हूॅ कि ग्राम संसद अभियान समस्याओ का समाधान नही है बल्कि वर्तमान अव्यवस्था से एक समझौता मात्र है। आदर्श स्थिति यह है कि संविधान निर्माण और संशोधन मे लोक की ही एक मात्र भूमिका होनी चाहिये, किन्तु ग्राम संसद अभियान इस मामूली से प्रयत्न के आधार पर जन जागरण कर रहा है कि संविधान संशोधन के अंतिम अधिकार तंत्र तक सीमित न हो और उसमे लोक की भी कोई भूमिका हो।

यदि कोई अन्य समूह व्यवस्था परिवर्तन अथवा सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की दिशा मे काम करता है तो हम उसका पूरा समर्थन या सहयोग करेंगे। यदि संविधान संशोधन के लिये जनमत संग्रह अथवा परिवारों को भी कोई भूमिका दी जाती है तो हम उसका पूरा समर्थन सहयोग के लिये तैयार हैं। यदि तंत्र जनता द्वारा निर्वाचित किसी लोक संसद को भी संविधान निर्माण और संशोधन मे कोई भूमिका के लिये तैयार हो तो हमारा समर्थन और सहयोग होगा । ऐसी स्थिति न देखकर ग्राम संसद अभियान अपनी एक सूत्रीय मांग पर जन जागरण कर रहा है। मै इतना और स्पष्ट कर दूं कि यदि चर्चा के माध्यम से तंत्र ने आंशिक सहमति की इच्छा जताई तो आवश्यकतानुसार ग्राम संसद अभियान गांवो को अपने कानून बनाने और क्रियान्वित करने की मांग को अल्प काल के लिये स्थगित भी कर सकता है, किन्तु संविधान संशोधन मे ग्राम और वार्ड सभाओ की भूमिका की मांग स्थिर है । हमारे भगवान रूपी संविधान को तंत्र के जेलखाने से मुक्त कराना हमारा पहला लक्ष्य है

ग्राम संसद अभियान का कार्यालय दिल्ली से संचालित होता है। पूरे देश को 99 लोक प्रदेशो मे बांटकर प्रत्येक लोक प्रदेश मे ग्राम संसद अभियान की कमेटियां बन रही है। सभी लोक प्रेदशो मे बैठको का क्रम एक साथ चल रहा है। 20 अगस्त से नवम्बर तक सभी लोक प्रदेशो मे ऐसी बैठकें हो जायेगी, जो लोक प्रदेश सम्मेलनो की योजना बनायेगी। अक्टूबर से मार्च तक के छ महिनो मे सभी लोक प्रदेशो मे ग्राम संसद अभियान के सम्मेलन पूरे करने की योजना है। इन सम्मेलनो मे कुछ लोगो का चयन करके एक राष्ट्र स्तरीय सम्मेलन रखा जायेगा जिसमे आगे की योजना पर विचार किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि ग्राम संसद अभियान वर्ष 2024 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने मे सफल हो सकेगा। मै जानता हूॅ कि यह कार्य भी संविधान संशोधन से ही संभव है और ग्राम संसद अभियान का निश्चय है कि हम कोई कानून नही तोडेगे बल्कि संवैधानिक तरीके से ही तंत्र की गुलामी से संविधान को मुक्त कराने का जन जागरण जारी रखेंगे । इसके लिये दो मार्ग दिखते हैं या तो इन विचारो के लोग संसद मे 2 तिहाई बहुमत बनाकर संविधान संशोधन कर दें और नई व्यवस्थानुसार नये चुनाव करा दे अथवा इतना प्रबल जनमत खडा हो कि वर्तमान तंत्र इस छोटे से संशोधन के लिये सहमत हो जाये । क्या होगा यह पता नही। दोनो ही प्रयत्नो मे जन जागण की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिये ग्राम संसद अभियान संगठित रूप से अपने को जन जागरण तक सीमित रख रहा है। जन जागरण के बाद कौन सा मार्ग आगे आयेगा वह लोक तय करेगा ग्राम संसद अभियान नही। आम नागरिको से अपेक्षा है कि वे इस संगठन के साथ जुडकर जनजागरण मे सक्रिय होंगे।

मै समझता हूॅ कि ज्ञान यज्ञ परिवार तथा ग्राम संसद अभियान के संयुक्त प्रयासों से सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग खुल सकता है।

सामयिकी

इस बार के पूरे सत्र मे राज्य सभा मे किसी तरह का कोई काम नही हो सका । इस रूकावट मे सबसे अधिक भूमिका कांग्रेस पार्टी की सरकार की रही । पांच वर्ष पूर्व जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा भी इसी तरह संसद को लम्बे समय तक ठप कर देती थी । कांग्रेस पार्टी को लगा कि संसद ठप करने से भाजपा सत्ता मे आ गई और उसी रास्ते चलकर कांग्रेस भी सत्ता मे आ सकती है। लेकिन इस बार दाव उल्टा भी पड सकता है। इस बार नरेन्द्र मोदी ने ससंद ठप करने के कार्य को एक चर्चित मुद्दे के रूप मे लेना शुरू कर दिया है। भाजपा के सांसद इतने दिनो का वेतन नही लेगे तथा आगे भी इस मुद्दे पर बहस जारी रहे ऐसी अंदर अंदर तैयारी चल रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी यह घटना गंभीर नुकसान कर सकती है। आम लोग जल्दी ही भूल जाते है । इस आधार पर भाजपा ने जो किया था वह महत्वपूर्ण नही होगा और कांग्रेस का किया हुआ महत्वपूर्ण हो जायेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्य सभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करके स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस खतरे को महसूस कर रही है। प्रश्न उठता है कि कांग्रेस पार्टी राज्य सभा मे भाजपा की नकल करने के उददेश्य से संसद ठप कर रही थी अथवा विशेष परिस्थितियो मे। यदि भाजपा की नकल थी तो इस मांग का कोई औचित्य है और अगर वास्तव मे संसद ठप करना आवश्यक था तो विशेष सत्र का कोई अर्थ नही रह जाता है। क्योकि विशेष सत्र मे भी परिस्थितियां संसद ठप करने लायक बन सकती है। मै समझता हूं कि इस मुददे पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड सकता है।

सामयिकी

भारत मे स्वतंत्रता के पूर्व श्रम शोषण के उद्देश्य से सवर्ण आरक्षण था। भीम राव अम्बेडकर एक बडे बुद्धिजीवी थे जो जन्म से तो अवर्ण थे किन्तु श्रम शोषण के लिये अन्य सवर्णो की तुलना मे बहुत आगे थे। उस समय भारत की सम्पूर्ण अवर्ण आबादी मे एक प्रतिशत आबादी ही बुद्विजीवी थी अन्यथा शेष निन्यानवे प्रतिशत श्रमजीवी थी। अम्बेडकर जी ने गुप्त रूप से सवर्ण बुद्धिजीवियो और अवर्ण बुद्धिजीवियो के बीच एक समझौता करा दिया। यह गुप्त समझौता ही जातीय आरक्षण नाम से विख्यात है।

हर सवर्ण से लेकर अवर्ण बुद्धिजीवी श्रम शोषण के उद्देश्य से किये गये इस समझौते के लिये अम्बेडकर जी की प्रशंसा करता है क्योकि अम्बेडकर जी नही होते तो श्रम और बुद्धि के बीच इतना फर्क नही रहता । ग्रामीण उद्योग धंधे खतम नही होते। श्रम की मांग और मूल्य बढता । निन्यान्नवे प्रतिशत श्रमजीवी अवर्णो को लाभ होता और दो तीन प्रतिशत अवर्ण सवर्ण अम्बेडकर जी की आलोचना करते । आज श्रम का मूल्य एक सौ अस्सी से अधिकतम तीन सौ पचास रूपये प्रतिदिन है तो एक चपरासी से लेकर प्रायमरी स्कूल का मास्टर आधी मेहनत करके भी हजार से पंद्रह सौ रूपये तक प्राप्त करता है। कुछ अवर्ण नेता बनकर जो आनंद कर रहे है वह आनंद सिर्फ अम्बेडकर जी की ही कृपा का परिणाम है अन्यथा संभव है कि श्रम और बुद्धि के बीच इतना अमानवीय फर्क नही होता और इनका वेतन भी हजार पंद्रह सौ की तुलना मे आधे से भी कम ही होता।

आरक्षण के समर्थन विरोध की लडाई बुद्धि और श्रम के बीच बेमेल समीकरण की नही है। लडाई तो लूट के माल के बंटवारे की है। श्रम शोषण से प्राप्त सारा लाभ सवर्ण अपनी योग्यता के आधार पर आपस मे बांट लेना चाहते हैं तो एक प्रतिशत अवर्ण उस हिस्सेदारी को छोडने को तैयार नही है। मैने पूरे भारत मे एक भी बुद्धिजीवी नही देखा जो श्रम और बुद्धि के बीच की दूरी घटाने की बात करता हो। कई बुद्धिजीवी तो नौकरी के घमंड मे पकौडा बेचने को नीच काम तक कहने लगते है और श्रमजीवियो का अपमान करने मे सवर्ण अवर्ण का कोई भेद नही करते।

आरक्षण के पक्ष विपक्ष मे टकराव को खतम करने का सिर्फ एक ही आधार है कि सरकारी नौकरी और प्रायवेट वेतन की असमानता खतम कर दीजिये। नौकरी को या तो बाजार मूल्य आधारित कर दे या टेंडर शुरू कर दे। सारी मारामारी खतम । अम्बेडकर की पूजा बंद। आरक्षण के पक्ष विपक्ष की लडाई बंद। न रहेगा लूट का माल न बंटवारे का झगडा।

प्रश्नोत्तर

1 श्री एम एल चौहान बालाघाट मध्य प्रदेश

प्रश्न– आजादी के छः दशक बाद तक जिन लोगो को यह भ्रम पैदा हो गया था कि वे एक धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश की नींव रखने वाले राष्ट्रपिता महात्मागांधी के देश के जिम्मेदार नागरिक है, उनका यह भ्रम अब टूटने की कगार मे आ गया है। जम्मू काश्मीर के निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल राशिद ने दिल्ली मे कहा कि अब हिन्दुस्तान गांधी का नही बल्कि मोदी का हिन्दुस्तान हो गया हैं। जम्मू काश्मीर मे बीफ पार्टी को लेकर विवादो मे रहे निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद पर दिल्ली मे काली स्याही फेकी गई । राशिद पर यह हमला प्रेस क्लब आंफ इंडिया मे किया गया। काला मुंह लिये राशिद ने मिडिया से कहा कि लोग पाकिस्तान के तालिबानी करण की बात कर रहे है तो देखिये भारत मे क्या हो रहा है। इससे पहले बीफ पार्टी मामले मे जम्मू काश्मीर विधान सभा मे राशिद की पिटाई भाजपा विधायको के द्वारा की गई थी, जिसकी निंदा मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने की और उप मुख्य मंत्री निर्मल सिंह ने खेद जताया। इन सबसे अलग उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर नेशनल कान्फेन्स के सदस्यो ने नही बचाया होता तो भाजपा विधायक सदन के भीतर शेख अब्दुल राशिद की हत्या कर देते। ये है भारतीय लोकतंत्र के मंदिरो का हाल जहां सम्मानीय सदस्य एक दुसरे पर कातिलाना हमला करने पर भी नही चूक रहे है।

बात यहां खत्म नही हो जाती है बल्कि सिक्के का दूसरा पहलू भी इससे कही ज्यादा दमदार नजर आ रहा है। क्योकि अब बापू के हत्यारे को स्थापित करने जैसा कृत्य करने की भी बू आने लगी है। आपको याद करा दे कि राष्टपिता महात्मागांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की याद मे मंदिर बनवाने की घोषणा पिछले साल हिन्दू महासभा ने की थी जिसके बाद काफी विरोध हुआ और

फैसले को ठंडे बस्ते मे डाल दिया गया था। एक बार फिर उसमे घी डालने का काम किया जा रहा है। दर असल अब बताया जा रहा है कि महासभा गोडसे को फांसी दिये जाने वाले दिवस के रूप मे मनाने की योजना बना रही है। इस तस्वीर का एक पहलू और है जिसमे देश के तमाम सम्मानित लेखक अपने पुरस्कार और सम्मान लौटाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे ताकि समय रहते सरकार की नींद खुल जाये, और देश एक बडे संकट मे जाने से बच जाये। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी देश को किसी निर्णायक स्थिति मे ले जाती हुई प्रतीत नही होती। द्वंद तो यह है कि लेखको का अंतराष्टीय संगठन पेन इन्टरनेशनल भी भारतीय लेखको का सम्मान लौटाने के पक्ष मे दिखा और इस बाबत उसने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित साहित्य अकादमी तक को पत्र लिखा है। कहा जाता है कि सोये को तो जगाया जा सकता है लेकिन जो सोया नही है और सोने का नाटक करता हो तो उसे जगाना मुश्किल ही नही नामुमकिन कार्य जैसा है। इसलिये वर्तमान विरोध और प्रदर्शन सरकार की नींद को तोडने मे सफल होते दिखाई नही दे रहे है और अतिवादी ताकते लगातार नापाक इरादो को पूरा करने मे सारी हदे पार करते चली जा रही है।

उत्तर– आपने इंजिनियर राशिद के साथ किये गये दुर्व्यवहार की निंदा की। उससे मै सहमत हूॅ। किसी भी व्यक्ति को कोई गलत बात कहने की भी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये। उसका प्रतिरोध वैचारिक तरीके से ही हो सकता है। बल प्रयोग से नही जैसे भाजपा के लोगो ने किया।

गांधी हत्या करके गोडसे ने गलत कार्य किया यह आप भी मानते है और मै भी मानता हूॅ किन्तु देश मे कुछ लोग ऐसा मानते है कि वह कार्य बहुत ही अच्छा था। यदि कोई व्यक्ति गांधी हत्या की प्रशंसा करता है तो क्या उसे किसी कानून के अंतर्गत अथवा बल पूर्वक रोका जा सकता है? गोडसे ने न्यायालय मे जो बयान दिया था वह बयान भी सार्वजनिक होने से रोकना पूरी तरह गलत था। क्या गोडसे के बयान से गांधी हत्या का औचित्य सिद्ध हो जाता और यदि हो जाता तो फिर ऐसे उचित तर्क को छिपाकर क्यो रखा जाये। बहुत दुख की बात है कि सत्तर वर्षो बाद भी गांधी के देश मे हिंसा और गांधी विचारो का विरोध बढ रहा है तथा गांधीवादी कहे जाने वाले लोग तर्को से उत्तर न देकर बल पूर्वक या कानून से रोकने का प्रयास करते है। मुझे लगता है कि अब्दुल राशीद का विरोध करने वालो के पास भी वैचारिक धरातल का अभाव है और गांधी हत्या का विरोध करने वालो के पास भी विचारो का अभाव है। जो लोग सत्तर वर्षो तक गांधी के नाम पर सत्ता मे बने रहे तथा गांधी वादी संस्थाओ के नाम पर देश भर मे सब प्रकार की सुविधाए मिलने के बाद भी गांधी विरोधी लहर को नही रोक सके, ऐसे निकम्मे लोगो को अपनी सोच और कार्य प्रणाली पर फिर से विचार करना चाहिये। गांधी की छवि कानून से नही बचेगी न ही विरोध करने से बचेगी । बल्कि गांधी की छवि तर्को के आधार पर समाज मे वैचारिक धरातल मजबूत करने से बचेगी। मेरे विचार मे गांधी का चिंतन एक ऐसा व्यावहारिक धरातल देता है जिसके समक्ष कोई अन्य टिक नही पाता। गांधी हत्या के बाद गांधी विचारो के हत्यारे नेहरू और गोडसे के पीछे पीछे चलने लगे। परिणाम हुआ कि गांधी मार्ग विरोधी संघ परिवार को चुपचाप अपने विचार फैलाने का अवसर मिला। मै आज तक नही समझा कि हिंसा और साम्प्रदायिकता का जीवन भर गांधी ने विरोध किया किन्तु गांधी के जाते ही सर्वोदय समाज मे नेहरू और वामपंथियों के प्रभाव मे आकर सिर्फ संघ का विरोध किया तो दूसरी ओर संघ का विरोध करते करते मुस्लिम साम्प्रदायिकता और नक्सलवाद समर्थन तक से समझौता कर लिया। मै पूरी तरह इस पक्ष मे हूॅ कि वैचारिक धरातल पर किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। दूसरी ओर क्रिया मे प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासित होना चाहिये।

2 एम एस सिंगला– अजमेर राजस्थान

प्रश्न–आप अपने विचारो मे प्रायः विचार और भावना शब्दो का सोद्देश्य प्रयोग करते है और उनपर बल देते है। आप भावनाओ मे बहना उचित नहीं मानते और विचारो को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते है। इस विषय मे अपना मन्तव्य सूक्ष्म मे रखना चाहूंगा अन्यथा तो यह विषय अपने आप मे पर्याप्त गहन है कि भावना और विचार विषय पर लम्बा लेख लिखा जा सकता है।

भाव हृदय से उपजते है और विचार मस्तिष्क मे निपजते है। सृष्टि भावो से चलती है और मानव ने विचारो को जन्म दिया । शिशु के संसार मे आते ही उसका माता से संबंध भावना से होता है विचारो से नही। वैवाहिक संबंध भावनाओं मे पनपते है। विचारो का बीज पडने पर युगल मे वैमनस्य उत्पन्न होने लगता है। किसी कवि ने कहा है –

जो भरा नही है भावो से, बहती जिसमे रसधार नही। वह नर नही नर –पशु निरा है और मृतक समान है।।

यदि मै कहूॅ कि मेरा आपसे सम्पर्क भावना की भूमि पर हुआ तो गलत न होगा। मैने आपमे देश प्रेम के भाव जानकर सम्पर्क साधा और उसमे मुझे प्रसन्नता मिली। अपनी शिक्षा के दौरान मैने पढा था कि भावना का अतिरेक मानव को पशु बना देता है और विचारो का अतिरेक असुर बना देता है । तर्क मे कुतर्क को स्थान है प्रेम के साथ वैसा भाव या शब्द नही।

इस छोटी मोटी भूमिका के पश्चात यह स्वतः सिद्ध होगा कि देश प्रेम की भावना पहले निपजती है। उसे पुष्ट करने अथवा उसे सुनियोजित ढंग से बनाये रखने के लिये मस्तिष्क की धरा पर विचारो की खेती होती है और विचारो के नाना उत्पादनो से तरह तरह के तर्क व्यंजन बनाये जाते है। (योजनाऐ बुनी जाती है) । मानव मे भावना और विचारो का युगल होता है । जब विचार के सामने भावना त्रिया की बात नही मानी जाती तब भावना विद्रोह कर बैठती है। तीन हठों मे त्रिया हठ का स्थान है। अतः भावना कार्यान्वित हो जाती है।

आपका यह तर्क उचित नहीं बनता कि निकम्मे लोग ही शक्ति का सहारा लेते है। जब रावण को कोई किसी प्रकार नही समझा सका तब श्रीराम को शस्त्र उठाना पडा। जब श्री कृष्ण कौरवो को नही समझा सके तब कितनी बडी मात्रा मे नर संहार हुआ । अतः वस्तु स्थितियां जब ऐसे बनती है कि वहां हठधर्मिता अड जाती है और कानून पानी भरता दिखाई पडता है तब व्यक्ति अपनी जैसी शक्ति होती है उसका प्रयोग करता है । फिर विचारवान लोग उसे चाहे जो कहें।

सरदार पटेल विभाजन के लिये सहमत हो गये थे इसकी सच्चाई जानने के लिये आप फ्रीडम एट मिड नाइट मुस्तक पढेगे तो स्थिति सामने आ सकेगी। जब पटेल ने माउंटबेटन से मिलने पर बल दिया तब माउंटबेटन ने इंगलैड लौटने की बात कह दी थी और पटेल को अपना हठ छोडना पडा था।

स्थितियां बडी अटपटी रही है और सर्वोच्च स्तर की होने पर गुप्त भी। फिर भी जो जानकारियां मिली है उन्ही पर बात की जा सकती है। आप मुझसे अधिक जानकारी रखते हो यह बात अलग है। नेहरू को कोई नही चाहता था । पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था । पटेल की स्थिति तब जिच हो गई जब उन्हे लगा कि सारी वार्ता गांधी नेहरू ने की है तब उनके द्वारा प्र. मत्री बनने पर अधिक जोर देने पर खेल बिगड गया तब सारा दोष उनपर मंढा जा सकता था।

देश आज तक यह नहीं समझ पाया कि जिस गांधी ने कहा था पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा वह विभाजन के लिये सहमत कैसे हो गये थे। अंगुलिमाल सरीखे तो युगो मे एक दो होते है किन्तु हिटलर तो जब तब जहा तहां पैदा होते रहते है, जिनके सामने कानून पानी भरने लगता है। कांग्रेस शासक की ऐसी कारगुजारियां सामने आने लगी है। ऐसे मे उनके कार्यकाल मे दो प्रकार के लोग रहे–एक जिन्होने स्थिति का लाभ उठाया दूसरे जिन्होने संघर्ष का झंडा उठाया।

आपने लिखा है ''किसी तानाशाह को राष्ट्रपिता मानना उचित है यह मै नही कह सकता। जो लोग गांधी की तुलना मे पटेल सुभाष या गोडसे के विचारों की चर्चा करते है उनमे केवल एक ही विरोधाभास है कि ऐसे लोग एकात्मक शासन के पक्षधर रहे है। जबकि नेहरू विकेन्द्रित शासन के और गांधी अकेन्द्रित शासन के। मै स्वयं अकेन्द्रित शासन प्रणाली का पक्षधर हूॅ। इसलिये मुझे केन्द्रित शासन प्रणाली के प्रति निरंतर विरोध बना रहता है।'' आपका विचार समझ मे न आ सका। जहां तक राष्ट्रपिता शब्द या विशेषण का प्रश्न है राष्ट्रपिता तो कोई हो ही नही सकता और जहां तक केन्द्रीयकरण /विकेन्द्रीयकरण का मामला है शासन मे विकेन्द्रीयकरण अवश्य होना चाहिये अथवा शासन इतना सक्षम हो कि वह केन्द्रीय व्यवस्था को भली भाती संभाल सके।

अब बात ले तानाशाह की । तानाशाही की भावना से कोइ मुक्ति पा सका हो कहना कठिन है। हर व्यकित, हर संगठन किसी न किसी रूप मे और किसी न किस अंश मे तानाशाह होता है । उदाहरण के लिये गांधी ने पाकिस्तान को 65 करोड रूपये दिलाने के लिये अनशन की तानाशाही दिखाई तो भावना वाले तानाशाह ने अपने ढंग की तानाशाही दिखाई। लक्ष्य दोनो का एक था देश । किसी का अपना स्वार्थ भी नही था । लोकतंत्र होते हुए नेहरू ने तानाशाह पूर्ण राज्य चलाया और सामाजिकता को धता बताकर हिन्दू विवाह अधिनियम पास करवाकर दम लिय। केवल लेबुल लोकतंत्र का रहा।

आप कानून की बात करते है । अपराधी को छोड कानून किसे पसंद नही होता। किन्तु आज कानून वकीलो की लाइब्रेरी मे बंद है, शब्दो और स्थितियों की व्याख्या मे उलझा कर रख दिया गया हे। कानून का एक उदाहरण प्रस्तुत है । किरायेदारी कानून । यह कानून परिस्थितिवश पंद्रह साल के लिये बनाया गया था जो आज भी मौजूद है। इसे समाप्त करने के लिये स्वयं सरकार द्वारा दो आयोग गठित किये गये। दोनो ने इनकी अनेक कमिंया गिनाते हुए इन्हे समाप्त करने की सिफारिश की । पर वे कानून आज भी प्रचलन मे है। इस कानून के अंतर्गत मुझसे संबंधित एक प्रकरण 1953 मे शुरू हुआ था और 2012 मे समाप्त हो पाया। वह भी भारी व्यक्तिगत प्रयास से । जबकि मालिक और किरायेदार दोनो उपर पहुंच चुके थे । मजे की बात यह है कि दुकान का किराया चार रूपया दो आना तय किया गया जबकि दुकानदार ने उस दुकान पर दो और किरायेदार बैठा रक्खे थे जिनसे वह अच्छी कमाई करता था। मै नही कह सकता कि मै अपनी बात भली भांति प्रस्तुत कर सका या नही।

उत्तर– मै समझता हूॅ कि आप भावना प्रधान अधिक है और मै भावना और बुद्धि के बीच समन्वय का प्रयत्न करता हूॅ। मेरा आपका सम्पर्क मै तो विचारो के आधार पर मानता हूॅ आप भले ही भावना के आधार पर माने । मै देश और राष्ट की तुलना मे समाज को अधिक महत्व देता हूॅ। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद नाथूराम गोडसे आदि भावना प्रधान लोग थे तो नेहरू पटेल अम्बेडकर आदि बुद्धि प्रधान। गांधी इन दोनो के बीच समझदारी मे काम लेते थे, न कभी भावना मे बहते थे न कभी बुद्धि प्रधानता मे । राम और कृष्ण ने जिस समय हिंसा का सहारा लिया उस समय लोकतंत्र नही था। लोकतंत्र मे हिंसा का कोई स्थान नही है। कांग्रेस पार्टी मे गांधी को बहुमत था परन्तु गांधी ने कभी सत्ता की लडाई नही लडी थी बल्कि स्वतंत्रता की लडाई लडी थी। नेहरू पटेल अम्बेडकर सत्ता के लिये प्रयत्नशील थे । स्वतंत्रता उसके साथ जुडी हुई थी । इसलिये गाधी के समक्ष नेहरू पटेल अम्बेडकर जनमत के मामले मे बौने थे । गांधी ने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा क्योकि गांधी धार्मिक आधार पर टकराव के विरूद्ध थे और विभाजन नही चाहते थे । सरदार पटेल नेहरू या अम्बेडकर ने कभी ऐसा नही कहा क्योकि उन्हे न स्वतंत्रता से मतलब था न राष्ट्रीय एकता से। इसलिये भले ही विभाजन हो जाये लेकिन मामला जल्दी खतम हो इसके लिये वे विभाजन के मामले मे पंडित नेहरू के साथ हुए। जिस तरह आप गांधी से प्रश्न कर रहे है वही प्रश्न पटेल से क्यो नही करते कि पटेल ने विभाजन के विरूद्ध आमरण अनशन क्यो नही किया। पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा क्यो नही दिया। पटेल ने गांधी के विरूद्ध आंदोलन क्यो नही छेडा। स्वाभाविक है कि जिनका स्वार्थ होता है वे स्वयं कुछ नही करते और केवल दूसरो से प्रश्न किया करते है फ्रिडम मिड नाईट पुस्तक सिर्फ आपने अकेले नही पढी है । बल्कि बहुत लोगो ने पढी है। आपने अपने पत्र मे अन्य कई बात भी लिखी है जिसके संबंध मे सहमति असहमति हो सकती है। उसपर मै कोई टिप्पणी नही करना चाहता क्योकि अधिकांश बातो पर मेरी सहमति है।